नई दल्ली□ आसाराम केबेटे नारायण साई को दल्ली की □ कअदालत ने 24 घंटे केल□ गुजरात पुलसि की हरिासत में सौंपने की आज इजाजत दे दी□ इससे बलात्कार के□ कमामले में उसे सूरत में □ कअदालत में पेश करने केल□ उसकी ट्रांजटि रमिांड तय हो गई है□

अदालत ने साई केसाथ गरिफ्त्तार दो अन्य लोगों को भी ट्रांजटि रमिांड पर दे दयिा है□ इन सभी को दल्ली पुलसि की अपराध शाखा ने आज त□ के दल्ली-हरयिाणा सीमा पर गरिफ्त्तार कयिा□

मेट्रोपोलटिन मजस्ट्रिेट धीरज मोर ने क्हा कि वह सभी तीनों आरोपयिों को ट्रांजटि रमिांड पर 24 घंटे केल□ सौंपने की इजाजत देते है□ यह अवधि शाम सात बजे से शुरू होगी□

हालांकि, न्यायाधीश ने क्हा कि गुजरात पुलसि द्वारा केस डायरी और आरोपयिों केबयान पेश करने पर ही वह आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे□

सूरत की अदालत में पेश होने की मांग करने वाली 40 वर्षीय साई की ट्रांजटि जमानत याचकि खारजि करते हु□ उन्होंने क्हा कि उसकेखलिाफ कुछ खास आरोप है और सूरत केमुख्य न्यायकि मजस्ट्रिेट (सीजे□ म) उसकेखलिाफ वारंट जारी कर चुकेहै□

आरोपी केवकील ने इस बात का जक्रि कयिा कि सीजे□ म केवारंट या आदेश केअनुपालन में वे अदालत में आत्मसमर्पण करने वाले थे□

जांच अधकिारी ने दलील दी कि वे लोग आरोपी को संबद्ध अदालत में पेश करने केलयि गुजरात ले जाने हेतु परविहन की व्यवस्था कर चुकेहै□

न्यायाधीश ने क्हा कि बचाव पक्ष केवकील की दलील में दम नहीं है□ हालांकि, अदालत खुद को ट्रांजटि रमिांड तकसीमति कर रही है□

अदालत केखचाखच भरे कमरे में सुनवाई केदौरान गुजरात पुलसि ने तीनों आरोपयिों (नारायण साई और उसकेसहयोगी रमेश मल्होत्रा तथा कौशल ठाकुर) की ट्रांजटि रमिांड मांगी□

गुजरात पुलसि ने अदालत को बताया कि कानून व्यवस्था की समस्या के चलते वे इस बात का खुलासा नहीं कर सकते कि 24 घंटे में वे आरोपी को गुजरात कैसे ले जा□ंगे□

साई की ओर से पेश अधविक्ता प्रदीप राणा ने गुजरात पुलसि की दलील का वरिोध करते हु□ कहा कि उनके मुवक्कलि को फंसाया गया है और वह अदालत में आत्मसमर्पण करने वाले थे□

राणा ने कहा, ''मै (नारायण साई) अदालत में आत्मसमर्पण करने वाला था□ मेरी प्रतष्ठिा को नुकसान पहुंचाने के ल□ उन्होंने (पुलसि) मुझे गरिफ्तार कर लयि□ ''

दल्लिी पुलसि ने आरोप लगाया कि साई को उस वक्त गरिफ्तार कयि गया जब वह पक□ी जाने से बचने के ल□ सखि व्यक्ति के वेश में था□ उसने लाल रंग की पग□ी बांध रखी थी□

(भाषा)